Circular No 507

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या/No. 5-1(38)/2008-पीडी

दिनांक/Dated: 03.02.2010

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary(Admn.)

सेवा में/To,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all National Labs./Instts of CSIR

Sub: Amendment in CCS (Leave) Rules, 1972- regarding.

महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1.12.2009 की अधिसुचना सख्या. [11012/1/2009-Estt.(L)] आपकी सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith a copy of Government of India, Department of Personnel and Training Notification No. [11012/1/2009-Estt.(L)] dated 1.12.2009 on the above subject for information, compliance and necessary action.

भवदीय,

(ओ.पी. धवन)
अवर सचिव

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त एंव लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव/ स्टाफ अधिकारी
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन) के निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. उप सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान यूआरडीपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/पीपीडी
9. विधि सलाहकार, सीएसआईआर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी उपसचिव/अवरसचिव
11. प्रधान, आरऐबी, सीएसआईआर काम्पलैक्स
12. आई. टी. प्रभाग - इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION-3, SUB-SECTION (i)]

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

(Department of Personnel and Training)

....

NOTIFICATION

New Delhi, the, 1st December, 2009.

GSR... In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely: –

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 6 the following rule shall be substituted, namely, –

"**6. Transfer to industrial establishment**.– If a Government servant governed by these rules is appointed in an industrial establishment wherein his leave terms are governed by the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the authority competent to grant leave shall, *suo motu,* issue an order granting cash equivalent of leave salary in respect of earned leave and half pay leave at his credit subject to a maximum of 300 days and the cash so granted shall be a sum equal to the leave salary as admissible for earned leave and leave salary as admissible for half pay leave plus dearness allowance admissible on that

leave salary at the rate in force on the date the Government servant ceases to be governed by the provisions of the said rules:

Provided that in the event of his return to a post or service to which the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 apply, the benefit of cash equivalent of leave salary payable under rule 39 shall be modified as under –

(a) *On superannuation* .- encashment of leave shall be subject to the condition that the number of days of both earned leave and half pay leave for which encashment has already been allowed under this rule and the number of days of earned leave and half pay leave to be encashed on superannuation does not exceed 300 days;

(b) *On premature retirement* .- cash equivalent of unutilised earned leave and half pay leave should be subject to the condition that the number of days of earned leave and half pay leave for which encashment had already been allowed under this rule and the number of days of earned leave and half pay leave to be encashed on premature retirement shall not exceed 300 days.".

3. In the said rules, for rule 28, the following rules shall be substituted, namely, –

'28.Earned leave for persons serving in Vacation Departments . –

(1) (a) A Government servant (other than a military officer) serving in a Vacation Department shall not be entitled to any earned leave in respect of duty performed in any year in which he avails the full vacation;

(b) In respect of any year in which a Government servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to earned leave in such proportion of 30 days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation:

Provided that no such leave shall be admissible to a Government servant not in permanent employ or quasi-permanent employ in respect of the first year of his service ;

(c) If, in any year, the Government servant does not avail any vacation, earned leave shall be admissible to him in respect of that year under rule 26.

EXPLANATION: For the purpose of this rule, the term "year" shall be construed not as meaning a calendar year in which duty is performed but as meaning twelve months of actual duty in a Vacation Department.

NOTE 1. – A Government servant entitled to vacation shall be considered to have availed a vacation or a portion of a vacation unless he has been required by general or special order of a higher authority to forgo such vacation or portion of a vacation

Provided that if he has been prevented by such order from enjoying more than fifteen days of the vacation, he shall be considered to have availed himself of no portion of the vacation.

NOTE 2. – When a Government servant serving in a Vacation Department proceeds on leave before completing a full year of duty, the earned leave admissible to him shall be calculated not with reference to the vacations which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completed the previous year of duty.

(2) Vacation may be taken in combination with or in continuation of any kind of leave under these rules:

Provided that the total duration of vacation and earned leave taken in conjunction, whether the earned leave is taken in combination with or in continuation of other leave or not, shall not exceed the amount of earned leave due and admissible to the Government at a time under rule 26.

(3) The earned leave under this rule at the credit of a Government servant at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year shall not exceed the maximum limit of 300 days.

NOTE. – The facility of crediting of unavailed portion of joining time shall be admissible to persons serving in Vacation Departments, in accordance with the provisions of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 26.".

4. In the said rules, in rule 29, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The half pay leave account of every Government servant (other than a military officer) shall be credited with half pay leave in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.".

5. In the said rules, in rule 38-A, –

(a) sub rule (1) shall be omitted;

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The period of leave encashed shall not be deducted from the quantum of leave that can normally be encashed by him under rules 6, 39, 39-A, 39-B, 39-C and 39-D.".

6. In the said rules, in rules 39, –

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely, –

"(2) (a) Where a Government servant retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall, *suo motu,* issue an order granting cash equivalent of leave salary for both earned leave and half pay leave, if any, at the credit of the Government servant on the date of his retirement subject to a maximum of 300 days;

(b) The cash equivalent of leave salary under clause (a) shall be calculated as follows and shall be payable in one lumpsum as a one-time settlement, –

$$\text{(i) Cash equivalent for earned leave} = \frac{\text{Pay admissible on the date of retirement } \textit{plus} \text{ Dearness Allowance admissible on that date}}{30} \times \text{Number of days of unutilized earned leave at credit subject to the total of earned leave and half pay leave not exceeding 300 days.}$$

$$\text{(ii) Cash payment in lieu of half pay leave component} = \frac{\text{Half pay leave salary admissible on the date of retirement } plus \text{ Dearness Allowance admissible on that date}}{30} \times \text{Number of days of half pay leave at credit subject to the total of earned leave and half pay leave at credit not exceeding 300 days.”}$$

Note. – The overall limit for encashment of leave including both earned leave and half pay leave shall not exceed 300 days.

(c) To make up the shortfall in earned leave, no commutation of half pay leave shall be permissible.”.

(b) in sub-rule (4),in clause (a), for sub-clause (ii) the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(ii) after expiry of the period of extension, cash equivalent in the manner provided in clause (b) of sub-rule (2) in respect of both earned leave and half pay leave at credit on the date of retirement, *plus* the earned leave and half pay leave earned during the period of extension reduced by the earned leave and half pay leave availed of during such period, subject to a maximum of 300 days.”.

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely, –

"(5) A Government servant who retires or is retired from service in the manner mentioned in clause (c) of sub-rule (1), may be granted *suo motu*, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of the leave salary in respect of both earned leave and half pay leave at his credit subject to a maximum of 300 days. The cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (2) of rule 39."

(d) in sub rule (6), in clause (a), –

(i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely, –

"(i) where the services of a Government servant are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, *suo motu,* by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of both earned leave and half pay leave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to a maximum of 300 days and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (2) of rule 39".

(ii) for sub-clause (iii), the following sub -clause shall be substituted, namely.–

"(iii) a Government servant, who is re-employed after retirement may, on termination of his re-employment, be granted, *suo motu*, by an authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of both earned leave and half pay leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 300 days including the period for which encashment was allowed at the time of retirement and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (2) of rule 39.".

7. In the said rules, for rule 39-A, the following rule shall be substituted, namely:-

> **"39-A. Cash equivalent of leave salary in case of death in service.** – In case a Government servant dies while in service, the cash equivalent of leave salary for both earned leave and half pay leave, if any, at the credit of the deceased Government servant on the date of his death, not exceeding 300 days shall be paid to his family in the manner specified in rule 39-C and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (2) of rule 39.".

8. In the said rules, for rule 39-B, the following rule shall be substituted, namely:-

> **"39-B. Cash equivalent of leave salary in case of invalidation from service.** - (1) A Government servant who is declared by a Medical Authority to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted, *suo motu*, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of both earned leave and half pay leave, if any, at the credit of the Government servant on the date of invalidation from service, subject to a maximum of 300 days and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (2) of rule 39.
>
> (2) A Government servant not in permanent employ or quasi-permanent employ shall not, however, be granted cash equivalent of leave salary in respect of half pay leave standing at his credit on the date of his invalidation from service.".

9. In the said rules, in rule 39-C, for clauses (vii) to (xi), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(vii) failing (i) to (vi) above, to the eldest surviving married daughter;
(viii) failing (i) to (vii) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years;
(ix) failing (i) to (viii) above, to the eldest surviving unmarried sister;
(x) failing (i) to (ix) above, to the eldest surviving widowed sister; and
(xi) failing (i) to (x) above, to the eldest child of the eldest predeceased son.".

10. In the said rules, the brackets and words "(including the number of days for which encashment has been allowed along with Leave Travel Concession while in service)" wherever they occur, shall be omitted.

11. In the said rules, in rule 43, –

(i) in sub-rule (1), for the figures and word "135 days", the figures and word "180 days" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4), in clause (b), for the words "one year", the words "two years" shall be substituted.

12. In the said rules, after rule 43-A the following rule shall be inserted, namely, –

"43-AA Paternity Leave for Child Adoption .- (1) A male Government servant (including an apprentice) with less than two surviving children, on valid adoption of a child below the age of one year, may be granted Paternity Leave for a period of 15 days within a period of six months from the date of valid adoption.

(2) During such period of 15 days, he shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) The paternity leave may be combined with leave of any other kind.

(4) The Paternity Leave shall not be debited against the leave account.

(5) If Paternity leave is not availed of within the period specified in sub-rule (1) such leave shall be treated as lapsed.

Note:- The Paternity Leave shall not normally be refused under any circumstances.".

13. In the said rules, in rule 43-B, in sub-rule (1), for the figures and word "135 days", the figures and word "180 days" shall be substituted;

14. In the said rules, after rule 43-B, the following rule shall be inserted, namely: –

"**43-C. Child Care Leave**. – (1) A woman Government servant having minor children below the age of eighteen years and who has no earned leave at her credit, may be granted child care leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years, i.e,730 days during the entire service for taking care of upto two children whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc.

(2) During the period of child care leave, she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) Child care leave may be combined with leave of any other kind.

(4) Notwithstanding the requirement of production of medical certificate contained in sub-rule (1) of rule 30 or sub-rule (1) of rule 31, leave of the kind due and admissible (including commuted leave not exceeding 60 days and leave not due) upto a maximum of one year, if applied for, be granted in continuation with child care leave granted under sub-rule (1).

(5) Child care leave may be availed of in more than one spell.

(6) Child care leave shall not be debited against the leave account.".

[F.No.11012/1/2009-Estt.(L)]

(Simmi R. Nakra)
Director(P&A)

Foot note:- The principal rules were published vide S.O. No. 940, dated the 8th April, 1972 and were last amended vide notification number GSR, 229, dated the 3rd November, 2007

(Simmi R. Nakra)
Director(P & A)

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi – 64

F.No.11012/1/2009-Estt.(L) New Delhi, the 1 . 12 . 2009.

Copy also forwarded to:

1. All Ministries/Department of the Govt. of India.
2. Office of the Comptroller & Auditor General of India.
3. Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
4. Secretaries to Union Public Service Commission/Supreme Court of India/ Election Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Sectt./Cabinet Sectt./Central Vigilance Commission/President's Sectt./ Vice-President's/ Prime Minister's Office/Planning Commission.
5. All State Governments and Union Territories.
6. Governors of all States/Lt. Governors of all Union Territories.
7. Secretary, National Council of JCM (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
8. All Members of Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
9. All Officers/Sections of DOPT/Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pensions & Pensioners Welfare/PESB.
10. Ministry of Finance, Department of Expenditure
11. Official Language Wing (Legislative Deptt.), Bhagwan Dass Road, New Delhi.
12. Railway Board, New Delhi.
13. NIC, DOPT.
14. 50 spare copies.

(Simmi R. Nakra)
Director(P& A)

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

......

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1.12.2009.

सा.का.नि............संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के उपरान्त, राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. (i) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (संशोधन) नियमावली, 2009 के नाम से जाने जाएं ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में (इसके बाद उपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"6. **औद्योगिक स्थापना में स्थानांतरण** - यदि इन नियमों द्वारा शासित किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति किसी औद्योगिक स्थापन में की जाती है जहां पर उसकी छुट्टी शर्तें कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने आप अधिकतम 300 दिनों के अध्यधीन उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश तथा अर्द्धवेतन अवकाश के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्रदान करते हुए एक आदेश जारी करेगा और इस प्रकार स्वीकृत नकद, अर्जित अवकाश के लिए यथा स्वीकार्य छुट्टी वेतन तथा अर्द्धवेतन अवकाश के लिए यथा स्वीकार्य छुट्टी वेतन जमा उस तारीख जिसको सरकारी सेवक उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होना बंद करता है, को लागू दर पर उस छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ता की बराबर राशि का होगा :-

बशर्ते कि उस पद अथवा सेवा जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 लागू होती है, पर लौट आने पर नियम 39 के अंतर्गत देय छुट्टी वेतन के बराबर नकद का लाभ के अनुसार संशोधित किया जाएगा:-

(क) अधिवर्षिता पर - छुट्टी का नकदीकरण इस शर्त के अध्यधीन होगा कि अर्जित अवकाश तथा अर्द्धवेतन अवकाश दोनों के दिनों की संख्या जिसके लिए इस नियम के अंतर्गत नकदीकरण की अनुमति पहले ही दे दी गई है तथा अधिवर्षिता पर नकद दिए जाने के लिए अर्जित अवकाश तथा अर्द्धवेतन अवकाश के दिनों की संख्या 300 दिनों से अधिक नहीं है ।

(ख) समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर - उपयोग न की गई अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध वेतन अवकाश के बराबर नकद इस शर्त के अध्यधीन होना चाहिए कि अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध वेतन अवकाश जिसके लिए इस नियम के अंतर्गत नकदीकरण की अनुमति पहले ही दे दी गई थी और समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर नकद दिए जाने के लिए अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध वेतन अवकाश के दिनों की संख्या 300 दिनों से अधिक नहीं होगी ।

3. उपर्युक्त नियमावली में, नियम 28 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"28. प्रावकाश विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के लिए अर्जित अवकाश:-

(1) (क) किसी प्रावकाश विभाग में सेवा कर रहा कोई सरकारी सेवक (किसी मिलिटरी अधिकारी से इतर) उस वर्ष जिसमें वह पूर्व अवकाश ले लेता है, में की गई ड्यूटी के संबंध में किसी भी अर्जित अवकाश का हकदार नहीं होगा;

(ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके कोई सरकारी सेवक छुट्टी के एक भाग को ले लेता है तो वह ऐसी 30 दिनों के अनुपात में अर्जित अवकाश का हकदार होगा क्योंकि नहीं ली गई छुट्टियों के दिनों की संख्या से उनकी छुट्टियां पूर्ण होगी ।

बशर्ते कि ऐसी कोई भी छुट्टी किसी सरकारी सेवक के लिए जो स्थाई अथवा स्थाईवत नहीं है; उसकी पहले वर्ष की सेवा के संबंध में स्वीकार्य नहीं होगी ।

(ग) यदि, किसी वर्ष में, सरकारी सेवक कोई छुट्टी नहीं लेता है, तो नियम 26 के अनुसार, उस वर्ष के संबंध में उसके अर्जित अवकाश स्वीकार्य होंगे ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ " वर्ष " शब्द उस कैलेन्डर वर्ष के अर्थ के रूप में नहीं माना जाएगा जिसमें ड्यूटी की गई है, बल्कि प्रावकाश विभाग में वास्तविक ड्यूटी के 12 महीनों के अर्थ के रूप में समझा जाएगा ।

टिप्पणी 1. - छुट्टियों का हकदार किसी सरकारी सेवक पर छुट्टी अथवा छुट्टी के किसी भाग को लिए जाने के लिए विचार किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी छुट्टी अथवा छुट्टी के किसी भाग को छोड़ने के लिए किसी उच्च अधिकारी के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अपेक्षित नहीं किया गया है ।

बशर्ते कि यदि उसे 15 दिन से अधिक की छुट्टियों को लेने से ऐसे आदेश द्वारा रोका नहीं गया है, तो उस पर छुट्टियों के किसी भाग को स्वयं नहीं लिए जाने के लिए विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी 2- जब किसी प्रावकाश विभाग में सेवा कर रहा सरकारी सेवक ड्यूटी का पूर्व वर्ष पूरा करने से पहले छुट्टी पर चला जाता है तो उसे स्वीकार्य अर्जित अवकाश, उन छुट्टियों

जो छुट्टी पर चले जाने से पहले की गई वास्तविक ड्यूटी की अवधि के दौरान होती है, के संदर्भ में नहीं बल्कि उस छुट्टी जो उस तारीख जिस पर उसने ड्यूटी का पूर्व वर्ष पूर्ण किया था प्रारंभ हो रहे वर्ष के दौरान होती है, गणना की जाएगी ।

(2) इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की छुट्टी को मिलाकर अथवा उसके क्रम में छुट्टी ली जाए ।

बशर्ते कि छुट्टी की कुल अवधि और संयोजित करके लिया गया अर्जित अवकाश, क्या अर्जित अवकाश अन्य अवकाश, को मिलाकर अथवा उसके क्रम में, किया जाता है अथवा नहीं; नियम 26 के अंतर्गत सरकार के पास बकाया और स्वीकार्य अर्जित अवकाश की मात्रा से अधिक नहीं होगा ।

(3) पूर्व अर्द्ध वर्ष की समाप्ति पर किसी सरकारी सेवक के खाते में इस नियम के अंतर्गत जमा अर्जित छुट्टी, इस शर्त के अध्यधीन आगे बढ़ाई जाएंगी कि इस तरह बढ़ाई गई छुट्टी जमा अर्द्ध वर्ष के लिए क्रेडिट छुट्टी 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी - ज्वाइन करते समय के नहीं लिए गए भाग के क्रेडिट की सुविधा, नियम 26 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुसार प्रावकाश विभागों में सेवा कर रहे व्यक्तियों को स्वीकार्य होगी ।

4. उपर्युक्त नियमों; नियम 29 में, उप नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"(1) प्रत्येक सेवक को अर्द्ध वेतन अवकाश खाता (मिलिटरी अधिकारी से इतर) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पर प्रत्येक 10 दिनों की दो किश्तों में, अग्रिम रूप से अर्द्ध वेतन अवकाश के साथ क्रेडिट किया जाएगा ।"

5. उक्त नियमावली में, नियम 38-क में,-

(क) उप नियम (1) हटा दिया जाएगा;

(ख) उप नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) नकदीकृत की गई छुट्टी की अवधि उस छुट्टी की मात्रा में से नहीं घटाई जाएगी जो उनके द्वारा नियम 6, 39, 39-क, 39-ख, 39-ग, और 39-घ के अंतर्गत सामान्यतया नकदीकृत की जा सकती है ।"

6. उक्त नियमावली में, नियम 39 में,-

(क) उप नियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(2)(क) जहां कोई सरकारी कर्मचारी उसकी सेवा को शासित करने वाली निबंधन और शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति हेतु निर्धारित समान्य उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त

होता है, छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख को सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी यदि कोई हो, के समकक्ष अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन नकद स्वीकृत करने वाला एक आदेश जारी करेगा;

(ग) क्लॉज (क) के अंतर्गत छुट्टी के समकक्ष नकद निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा और एक मुश्त निपटारे के रूप में एक मुश्त देय होगा, -

(i) अर्जित छुट्टी के समकक्ष नकद	=	सेवानिवृति की तारीख को अनुमत्य वेतन जमा उस तारीख को अनुमत्य मंहगाई भत्ता / 30	X	अधिकतम जमा 300 अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी की शर्त के अधीन अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या ।
(ii) अर्द्ध वेतन छुट्टी घटक के बदले नकद भुगतान	=	सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुमत्य अर्द्धवेतन छुट्टी जमा उस तारीख को स्वीकार्य मंहगाई भत्ता / 30	X	अधिकतम जमा 300 अर्जित छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी की शर्त के अधीन अप्रयुक्त अर्द्धवेतन छुट्टी के दिनों की संख्या ।"

टिप्पणी - अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी दोनों सहित छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम समग्र सीमा 300 दिन होगी ।

(ग) अर्जित छुट्टी में कमी को पुरा करने के लिए अर्द्धवेतन छुट्टी का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा ।"

(ख) उप नियम (4) में क्लॉज (क) में उप क्लॉज (ii) में निम्नलिखित उप क्लॉज प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्ति के समय खाते में जमा अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी दोनों के संबंध में उपनियम (2) के क्लॉज (ख) में प्रदत्त तरीके से समकक्ष नकद जमा सेवा विस्तार के दौरान अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी में से अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन ऐसी अवधि के दौरान प्राप्त की गई अर्जित छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी घटा ली जाएगी ।"

(ग) उपनियम (5) के लिए, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(5) वह सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता है अथवा उपनियम (1) के क्लॉज (ग) में उल्लिखित तरीके से सेवानिवृत्त होता है को छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उसके खाते में जमा अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन अर्जित छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी के संबंध में स्वतः नकद स्वीकृत किया जाएगा । देय नकद समकक्ष वही होगा जो नियम 39 के उप नियम (2) में है ।"

(घ) उप नियम (6) में, क्लॉज (क) में,-

(i) उप क्लॉज (i) के लिए निम्नलिखित उप क्लॉज प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(i) जहां सरकारी कर्मचारी की सेवा उसकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों के अनुसार नोटिस द्वारा अथवा वेतन और भत्तों के भुगतान द्वारा समाप्त कर दी जाती है, तो जिस तारीख को उसकी सेवा समाप्त हो जाती है उस तारीख को उसके खाते में अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन कुल जमा अर्जित छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी के समकक्ष नकद स्वतः ही छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और देय नकद समकक्ष वही होगा जो नियम 39 के उप नियम (2) में है ।"

(ii) सब - क्लॉज (iii) के लिए निम्नलिखित सब-क्लॉज प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(iii) सेवानिवृत्ति के बाद जिस सरकारी कर्मचारी को पुनःनियुक्त किया जाता है उसकी पुनर्नियुक्ति समाप्त हो जाने के बाद छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वतः ही पुनर्नियुक्ति समाप्त होने की तारीख को उसके खाते में, अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन कुल जमा अर्जित छुट्टी और अर्द्धवेतन छुट्टी और साथ ही वह अवधि भी जिसके लिए सेवानिवृत्ति के समय नकदीकरण की अनुमति दी गई थी, के संबंध में नकद समकक्ष स्वीकृत किया जाएगा और देय नकद समकक्ष वही होगा जो नियम 39 के उपनियम (2) में है ।"

7. उक्त नियमों में, नियम 39-क के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"**39-क सेवा में मृत्यु की स्थिति में छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद**- यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की तारीख को मृतक सरकारी कर्मचारी के खाते में अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन जमा कुल अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी, यदि कोई हो, के लिए छुट्टी वेतन का नकद समकक्ष नियम 39-ग में विनिर्दिष्ट तरीके से उसके परिवार को भुगतान किया जाएगा और देय नकद समकक्ष वही होगा जो नियम 39 के उप नियम (2) में है ।"

8. उक्त नियमों में, नियम 39-ख के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"**39-ख सेवा में अशक्त होने की स्थिति में छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद** - (1) जो सरकारी कर्मचारी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे और सेवा के लिए पूर्णतया अथवा स्थायी रूप से अशक्त घोषित कर दिया जाता है उसे छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वत, सेवा से अशक्त घोषित होने की तारीख को सरकारी कर्मचारी के खाते में अधिकतम 300 दिनों की शर्त के अधीन कुल जमा अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी के

संबंध में छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद स्वीकृत किया जाएगा और देय नकद समकक्ष वही होगा जो नियम 39 के उप नियम (2) में है ।"

(2) जो सरकारी कर्मचारी स्थायी नियुक्ति अथवा अर्द्ध स्थायी नियुक्ति पर नहीं है, उसको सेवा से अशक्त होने की तारीख को उसके खाते में जमा अर्द्धवेतन छुट्टी के संबंध में नकद समकक्ष स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।"

9. उपर्युक्त नियमावली के नियम 39-ग के खण्ड (vii) और(xi) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्-

"(vii) उपर्युक्त (i) से (vi) के न होने पर सबसे बड़ी जीवित विवहित पुत्री;
(viii) उपर्युक्त (i) से (vii) के न होने पर सबसे बड़ा जीवित भाई जो 18 वर्ष से कम हो;
(ix) उपर्युक्त (i) से (viii) के न होने पर सबसे बड़ी जीवित अविवाहित बहन;
(x) उपर्युक्त (i) से (ix) के न होने पर सबसे बड़ी जीवित विधवा बहन; तथा
(xi) उपर्युक्त (i) से (x) के न होने पर दिवंगत सबसे बड़े पुत्र का सबसे बड़ा पुत्र ।"

10. उपर्युक्त नियमावली में ऐसे कोष्ठक तथा शब्द (सेवा के दौरान छुट्टी यात्रा के भत्ते के साथ छुट्टी के दिनों की संख्या जिनके लिए छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति दी गई है) जहां कहीं भी होंगे उन्हें विलोपित कर दिया जाएगा ।

11. उपर्युक्त नियमावली के नियम 43 में -

(i) उपनियम (i) में आंकडों तथा शब्द "135 दिनों" के स्थान पर आंकडे तथा शब्द "180 दिन" प्रतिस्थापित किए जाए;

(ii) उपनियम (4) खण्ड (ख) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" द प्रतिस्थापित किए जाएगा अर्थात्:-

"43-क-क बच्चा गोद लेने हेतु पितृत्व अवकाश- (1) क कोई पुरुष सरकारी कर्मचारी (अप्रैंटिस सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हो, को किसी एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को विधिवत गोद लेने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाए ।

(2) इन 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे छुट्टी पर जाने से तत्काल पहले आहरित होने वाले वेतन के समान छुट्टी वेतन दिया जाएगा ।

(3) पितृत्व अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ-साथ लिया जा सकता है ।
(4) पितृत्व अवकाश छुट्टी के लेखा में नहीं डाला जाएगा ।
(5) यदि उपर्युक्त उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश नहीं लिया जाता तो उसे विलोपित माना जाएगा

टिप्पण:- सामान्यत: पितृत्व अवकाश होने से किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा ।"

13. उपर्युक्त नियमावली में नियम 43-ख में उपनियम (i) में आंकडों तथा शब्द "135 दिनों" के स्थान पर आंकडे तथा शब्द "180 दिन" प्रतिस्थापित किए जाए;

14. उपर्युक्त नियमावली में नियम 43-ख के बाद निम्न नियम अंतस्थापित किया जाएगा :-

"**43-ग शिशु देखभाल अवकाश**- (1) कोई महिला सरकारी कर्मचारी जिसके 18 वर्ष से कम आयु के दो छोटे बच्चे तथा जिसके खाते में कोई अर्जित अवकाश नहीं हो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी पूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो बच्चों की सीमा तक चाहे वे उनकी देखभाल के लिए हो अथवा उनकी परीक्षा तथा बीमारी आदि जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, अधिकतम दो वर्ष अर्थात् 730 दिन तक बच्चा देखभाल अवकाश प्राप्त किया जा सकता है ।

(2) बच्चा देखभाल अवकाश के दौरान उसे छुट्टी पर जाने से तत्काल पहले आहरित होने वाले वेतन के समान छुट्टी वेतन दिया जाएगा ।

(3) बच्चा देखभाल अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ-साथ लिया जा सकता है ।

(4) नियम 30 के उपनियम (1) अथवा नियम 31 के उपनियम (1) में विहित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की हेतु की गई अपेक्षा के बावजूद यथा ग्राह्य तथा अनुग्राह्य अवकाश (60 दिन से अधिक की परिवर्तित छुट्टी तथा नहीं मिल पाने वाली छुट्टी सहित) एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक यदि आवेदन किया गया हो, उप नियम (1) के अंतर्गत दिया जाने वाला शिशु देखभाल अवकाश के साथ-साथ प्रदान किया जा सकता है ।

(5) शिशु देखभाल अवकाश एक बार से अधिक बार लिया जा सकता है ।

(6) शिशु देखभाल अवकाश छुट्टी खाते में नहीं डाला जाएगा ।

[फा.सं. 11012/1/2009-स्था.(छुट्टी) ।

सिम्मी आर नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक (पी. एंड ए)

पाद टिप्पण:- मुख्य नियम दिनांक 8 अप्रैल, 1972 के सा.आ. संख्या 940 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा पिछली बार दिनांक 3 नवंबर, 2007 की जीएसआर संख्या 229 द्वारा संशोधित किए गए ।

सिम्मी आर नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक (पी. एंड ए)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली-64

[फा.सं. 11012/1/2009-स्था.(छुट्टी)] नई दिल्ली, 1.12.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय ।
3. लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
4. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
5. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
6. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल ।
7. सचिव, जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जे.सी.ए. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग / पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
12. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
13. एनआईसी, डीओपीटी ।
14. 50 अतिरिक्त प्रतियां।

सिम्मी आर नाकरा

सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक (पी. एंड ए)